<u>प्रेस नोट</u>

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 16.10.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-317/26 धारा 305ए/331(4)/324(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अनुज कुमार उर्फ चारी पुत्र शिव प्रसाद 2.कौशल किशोर पुत्र राजू उर्फ राज नारायण 3.अमित सिंह उर्फ छोटू पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासीगण ग्राम गुटैहा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 392/26 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2)पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम जुनैदपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/19 धारा 323/504 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मुलायम पुत्र स्व0 नंदकिशोर उम्र 55वर्ष निवासी गोपालपुर डेरा थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 262/26 धारा 105/115(2)/191(2)/118(1) /117(2)/351(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त कुंवर सिंह पुत्र राम सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम रिवरी थाना रसूलाबाद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित यादव पुत्र फूलसिंह यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम उसरिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के

सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 347/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ राजू पुत्र राकेश कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, के कब्जे से 25 अदद नाजायज ट्वीन टॉवर मसाला देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 402/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।